म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/बी-6/नियमन/विपणन संघ/659/ 2573 भोपाल दिनांक 28/03/2023

प्रति,

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
जहाँगीराबाद, मुख्यालय भोपाल।

विषयः- म.प्र.कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम-2009 (यथासंशोधित) के अधीन स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति की अवधि बढाये जाने के संबंध मे

संदर्भः-1/ मंडी बोर्ड का पत्र क्रमांक/बी-6/नियमन/विपणन संघ/659/961 दिनांक 29/03/2022

2/ मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, मुख्यालय भोपाल का आवेदन दिनांक 06/03/2023 एवं पत्र दिनांक 27/03/2023

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 1 से मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल को मध्यप्रदेश के समस्त मण्डी क्षेत्र, समस्त मण्डी प्रांगण एवं समस्त उपमण्डी प्रांगण मे समस्त अधिसूचित कृषि उपज के क्रय हेतु विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./12 दिनांक 29/03/2022 से एक वर्ष के लिए अंनन्तिम रूप से स्वीकृत की गई है।

2/ मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल के द्वारा उक्त विशेष अनुज्ञप्ति की अवधि बढाने के संबंध मे पत्र प्राप्त हुआ है। साथ ही संदर्भित पत्र दिनांक 27/03/2023 से उक्त विशेष अनुज्ञप्ति नियम 2009 का पालन करने हेतु Undertaking दी जाकर अवधि बढाने का अनुरोध किया गया है।

3/ मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, **1972** की धारा **32**-क के अधीन **म0प्र0** कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, **2009** (**यथासंशोधित**) के नियम **4, 8, 10, 12** के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल को स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति की अवधि आगामी चार वर्ष के लिए स्वीकृत की जाती है। विशेष अनुज्ञप्ति का प्ररूप-**3** में परिशिष्ट-''अ'' पर संलग्न है।

4/ पूर्व मे स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति आदेश दिनांक 29/03/2022 की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

संलग्नः-परिशिष्ट-अ

(जी. व्ही. रश्मि)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

C:\Users\Acer\Desktop\sandeep folder 2022-23\sandeep letter.doc

mail

क्रमांक/बी-6/नियमन/विपणन संघ/659/2574 भोपाल दिनांक 28/03/2023

प्रतिलिपिः-

1. संयुक्त/उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/सागर/ग्वालियर/रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। **मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल** को म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, **2009** (यथासंशोधित) के नियम **4, 8, 10** के अधीन **समस्त अधिसूचित** कृषि उपज के लिए स्वीकृत की गई है । अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियो का पूर्ण पालन सुनिश्चित करावे। साथ ही आपके स्तर से इस विषय की जानकारी संभाग की समस्त कृषि उपज मण्डी समिति को दी जाये।

2. सचिव कृषि उपज मण्डी समिति................................. जिला............................... म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। **मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल** को कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, **2009** (यथासंशोधित) के नियम **4, 8, 10** के अधीन जारी उपरोक्तानुसार **समस्त अधिसूचित** कृषि उपज के लिए स्वीकृत की गई है । अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियो का पूर्ण पालन सुनिश्चित करावे। छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है।

3. प्रोग्रामर संचालक (आई.टी सेल), म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। विशेष अनुज्ञप्तिधारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल को स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति को ई-अनुज्ञा मॉड्यूल मे आवश्यक प्रविष्टि किया जाये।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

C:\Users\Acer\Desktop\sandeep folder 2022-23\sandeep letter.doc

प्ररूप - तीन

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी कार्यालय

किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2020/12 दिनांक 28/03/2022

(एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों मे अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार के लिए विशेष अनुज्ञप्ति)

1 मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल को धारा 32-क के अधीन निम्नांकित एक से अधिक मंडी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार हेतु दिनाँक 29/03/2022 को एक वर्ष के लिये स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति (अनंतिम) की अवधि को आगामी 4 वर्षो तक अर्थात दिनांक 28/03/2026 तक स्वीकृत की गई है।

अनु क्र0	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत/ की गई है।	विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है	संबंधित मंडी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केन्द्रों के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
	सब्जी, फल तथा फूल/मसाले/ तन्तु(कपास आदि)/ तिलहन/ धान्य तथा दलहन/ वन उपज और कृषि औषधीय उपज	समस्त अधिसूचित मंडी क्षेत्र	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति समस्त		मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित जहाँगीराबाद भोपाल	प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित , जहाँगीराबाद मुख्यालय, भोपाल

इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्तिधारक के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह वित्तीय वर्ष मे समस्त क्रय केन्द्रो मे मिलाकर नीचे यथा दर्शित अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम मात्रा क्रय करे:

अनु क्र0	अधिसूचित कृषि उपज का नाम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कय की जाने वाली न्यूनतम मात्रा (मेट्रिक टन में) {नियम 4 (2) देखिए}
1	सब्जी, फल तथा फूल	1,000 मेट्रिक टन
2	मसाले	1,000 मेट्रिक टन
3	तन्तु (कपास आदि)	2,000 गठान
4	तिलहन	2,000 मेट्रिक टन
5	धान्य तथा दलहन	2,000 मेट्रिक टन
6	वन उपज और कृषि औषधीय उपज	100 मेट्रिक टन

3 अनुज्ञप्तिधारी, इस अनंतिम अनुज्ञप्ति के दिये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्र पर निम्नलिखित प्रसुविधाएं सृजित करेगा:-

1. इलेक्ट्रानिक वे ब्रिज
2. पेयजल की समुचित व्यवस्था
3. समुचित प्रकाश व्यवस्था
4. पुरूष/महिला के लिये शौचालय की सुविधा
5. शेड की व्यवस्था
6. कृषको के लिये छायादार विश्राम स्थल
7. भुगतान काउन्टर
8. टेक्टर ट्राली की पार्किंग की समचित व्यवस्था
9. नमी, कचरा, क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिये उपकरण तथा मानव शक्ति
10. प्रवेश, विक्रय-क्रय, भुगतान तथा तौल काउन्टरों/ क्षेत्रों पर सीसीटीव्ही कैमरे स्थापना।
11. क्रय-विक्रय लेखा की मैन्युअल के साथ ही डिजीटल बैकअप प्रणाली संधारण।

4. यह विशेष अंनतिम अनुज्ञप्ति दिनांक 28/03/2023 से 27/03/2026 तक प्रभावशील रहेगी, परन्तु अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उल्लंघन पर किसी भी समय निलंबित या रदद की जा सकेगी।

5. यह अंनतिम अनुज्ञप्ति निम्नलिखित मुख्य आधारों पर निलंबित या रदद की जा सकेगी:-

(एक) विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र मे कृषकों को उनकी कृषि उपज का देय भुगतान न करने पर,
(दो) मण्डी फीस, निराश्रित शुल्क का भुगतान अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन उपबंधों के अनुसार तथा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर न करने पर,

(तीन) मण्डी फीस का अपंवचन करने, जारी अनुज्ञापत्र, रसीदे या अन्य जाली मण्डी अभिलेखों का संधारण करने तथा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या कराया जाना पाये जाने पर,

(चार) मण्डी समितियों या बोर्ड, को देय रकम का सूचना-पत्र के अनुसार समय-सीमा के भीतर भुगतान न करने पर, व्यतिक्रमी पाये जाने पर,

(पॉच) अधिनियम, नियमों तथा उसके अधीन बनाई गयी उपविधियों द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर विहित नियतकालिक विवरणियॉं प्रस्तुत न करने पर,

(छ) बोर्ड, मण्डी समिति से जारी किये गये निर्देशों की अवज्ञा किया जाना पाये जाने पर,

(सात) अधिसूचित कृषि उपज का न्यूनतम विहित मात्रा में क्रय न किये जाने पर

अनुज्ञप्ति जारीकर्ता
कार्यालय की मोहर

अधिसूचित प्राधिकारी/ अधिकारी
कार्यालय
प्रबंध संचालक-सह-आयुक्त
अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल
भोपाल (म.प्र.)